<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> जिला बैत्ल

दांडिक प्रकरण क :- 32 / 17 संस्थापन दिनांक:-20 / 02 / 17 फाईलिंग नं. 80 / 2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... <u>अभियोजन</u>

वि क्त द्ध

रामचरण पिता घुड़न सलामे उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्वाड़ीढाना जम्बाड़ी, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्त</u>

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 05.07.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 12.02.2017 को रात्रि करीब 08:10 बजे थाना आमला से 14 किमी. पश्चिम में फरियादी माखन का घर ग्राम जम्बाड़ा आमला में फरियादी माखन पर चूल्हे पर रखी गर्म पानी की गुण्डी फेंककर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 12.02. 2017 को रात्रि करीब 8 बजे अपने घर में चूल्हे के पास बैठा था। तभी उसका भाई अभियुक्त रामचरण आया और उसकी भाभी से कहासुनी करने लगा जिस पर उसने अभियुक्त को झगड़ा करने से मना किया। इसी बात पर से अभियुक्त ने चूल्हे पर रखी गर्म पानी की गुण्डी उठाकर उसके उपर फेंक दिया जिससे उसका चेहरा जल गया और फफोले पड़ गये। अभियुक्त ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क. 63/17 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 506 भाग—दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरूद्ध लगे धारा 324 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।
- 4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा—313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 12.02.2017 को रात्रि करीब 08:10 बजे थाना आमला से 14 किमी. पश्चिम में फरियादी माखन का घर ग्राम जम्बाड़ा आमला में फरियादी माखन पर चूल्हे पर रखी गर्म पानी की गुण्डी फेंककर स्वेच्छया उपहति कारित की ?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 6 माखन (अ.सा.—1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना फरवरी माह की रात के 8 बजे की उसके घर के अंदर की है। उसके भाई अभियुक्त ने गुस्से आकार उसके उपर गर्म पानी डाल दिया था और उसे 2—3 झापड़ मारे थे। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—1) थाने में की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात को सही होना बताया है कि वह स्वयं गर्म पानी की गुण्डी के उपर गिर गया था जिससे पानी झलक कर उसके उपर गिर गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी व्यक्त किया है कि अभियुक्त की कोई गलती नहीं थी और उसने गुस्से में आकर अपने भाई की रिपोर्ट कर दी थी।
- 7 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि फरियादी माखन (अ.सा.—1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त द्वारा उसके उपर गर्म पानी डालने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में मुख्य परीक्षण से पूर्णतः भिन्न कथन किये हैं जिससे उक्त साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी माखन पर चूल्हे पर रखी गर्म पानी की गुण्डी फेंककर स्वेच्छया

उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त रामचरण को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

- 8 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 9 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)